बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 231033 पटना, दिनांक- 11/5/2015

ग्रा0वि0-5/सा0आ0जन0(निधि)-103-11/2013

प्रेषक,

कनक बाला,

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

-सह-मुख्य SECC पदाधिकारी,

(किशनगंज, नालन्दा, गया एवं समस्तीपुर को छोड़कर) बिहार ।

विषय : **सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-(SECC)-2011 के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न मदों में विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्र संख्या-189446, दिनांक-24.06.2014, एवं स्मार पत्र संख्या-213951 दिनांक-26.12.2014

महोदय/महोदया,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र एवं स्मार पत्र (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ किया जाय । उक्त पत्र के द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-(SECC)-2011के सफल क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा विभिन्न मदों में उपलब्ध कराई गई राशि का अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था । अभी तक मात्र किशनगंज नालन्दा, गया एवं समस्तीपुर जिला से अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ।

विदित हो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा SECC मद की लगभग 90 प्रतिशत राशि विमुक्त की गई है, शेष राशि की विमुक्ति के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ अंकेक्षण प्रतिवेदन भी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जानी है ।

प्रसंगवश यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय जिलों से SECC मद में राशि की विमुक्ति हेतु अधियाचना प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ।

अतः अनुरोध है कि SECC कार्य हेतु राशि की मांग के प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित प्रतिवेदन भी शीघ्र संलग्न करते हुए उपलब्ध कराने की कृपा करे ।

(1) अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र ।

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन ।

(3) मदवार अधियाचित राशि के साथ विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में गणना तालिका ।

(4) अतिरिक्त राशि के मॉग का औचित्य ।

(5) चेकस्लीप (एनेक्सर-A)

अनुलग्नक यथोक्त ।

विश्वासभाजन

11/5/15

(कनक बाला)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक- 231033 दिनांक- 11/5/2015

प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, (किशनगंज, नालन्दा, गया एवं समस्तीपुर को छोड़कर), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11/5/15

विशेष कार्य पदाधिकारी

(63)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 213951 पटना, दिनांक- 26/12/14

ग्रा0वि0-5/सा0आ0जन0(निधि)-103-11/2013

प्रेषक,

कनक बाला,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
-सह-मुख्य SECC पदाधिकारी,
(किशनगंज को छोड़कर) बिहार ।

विषय : **सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-(SECC)-2011 के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न मदों में विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्र संख्या-189446, दिनांक-24.06.2014

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ किया जाय । उक्त पत्र के द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-(SECC)-2011के सफल क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा विभिन्न मदों में उपलब्ध कराई गई राशि का अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था । अभी तक मात्र किशनगंज जिला से अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ।

विदित हो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा SECC मद की लगभग 90 प्रतिशत राशि विमुक्त की गई है, शेष राशि की विमुक्ति के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ अंकेक्षण प्रतिवेदन भी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जानी है ।

प्रसंगवश यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय जिलों से SECC मद में राशि की विमुक्ति हेतु अधियाचना प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ।

अत: अनुरोध है कि SECC कार्य हेतु राशि की मांग के प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित प्रतिवेदन भी शीघ्र संलग्न करते हुए उपलब्ध कराने की जाय:-

(1) अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र ।
(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन ।
(3) मदवार अधियाचित राशि के साथ विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में गणना तालिका ।
(4) अतिरिक्त राशि के मॉग का औचित्य ।
(5) चेकस्लीप (एनेक्सरA)

अनुलग्नक यथोक्त ।

विश्वासभाजन
24/12/14
(कनक बाला)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक- 213951 दिनांक- 26/12/14

प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, (किशनगंज को छोड़कर), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/12/14
विशेष कार्य पदाधिकारी

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(53)

पत्रांक- 189446 पटना, दिनांक- 24.06.2014

ग्रा0वि0-5/सा0आ0जन0(निधि)-103-11/2013

प्रेषक,

एस.एम. राजू

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-

-सह-

मुख्य SECC पदाधिकारी,

बिहार ।

विषय : सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC)-2011 के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न मदों में विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के अंतर्गत अंतिम चरण का कार्य प्रगति पर है । सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC)-2011 के सफल क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा विभिन्न मदों में राशि उपलब्ध कराई गई है।उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सभी जिलों द्वारा विभाग को भेजा गया है । जिलों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकांशतः जिलों यथा:- पश्चिम चम्पारण, मधुबनी, अररिया, कटिहार, गोपालगंज, सारण, वैशाली, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपूरा, नालन्दा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद, जमुई एवं अरवल में SECC कार्य पर व्यय की गई राशि का प्रतिशत 90 से कम है ।

विदित हो कि विभागीय पत्रांक-176429, दिनांक-06.02.14 (प्रति संलग्न) के द्वारा SECC की राशि के व्यय एवं राशि की अधियाचना विभाग को भेजे जाने हेतु निदेश सभी जिलों को दिये गये हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि कुल उपलब्ध कराई गई राशि से अवशेष राशि 10 प्रतिशत से कम होने पर ही विभाग को मद्वार राशि की अधियाचना संबंधी प्रस्ताव भेजा जाय ।

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा SECC मद की लगभग 90 प्रतिशत राशि विमुक्त की गई है, शेष राशि की विमुक्ति के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ अंकेक्षण प्रमाण पत्र भी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जानी है ।

उक्त के क्रम में अनुरोध है कि SECC-11 के लंबित कार्यों को शीघ्र संपन्न कराया जाये तथा राशि की मॉग के प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित प्रतिवेदन भी संलग्न करने की कृपा की जाय:-

1. अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र,
2. अंकेक्षण प्रतिवेदन,
3. मदवार अधियाचित राशि के साथ विभागीय निदेश के आलोक में गणना तालिका,

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(एस.एम. राजू)

सचिव

24/6/14

ज्ञापांक- 189446 दिनांक- 24.06.2014

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव

24/6/14